रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/97

REGD. NO. D. L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 516] नई दिल्ली, मंगलवार, सितंबर 9, 1997/भाद्र 18, 1919
No. 516] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 9, 1997/BHADRA 18, 1919

श्रम मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 सितंबर, 1997

का. आ. 645 (अ):—जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली और उनके कामगारों, (नर्सों) जिनका प्रतिनिधित्व दिल्ली नर्स संघ, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है, के बीच एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो गया है,

जबकि केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा प्रबंधन और ऊपर वर्णित संघ के बीच संराधन कार्यवाहियां असफल हो गयी हैं,

जबकि उक्त संघ ने 3-9-1997 की शाम और रात्रि की पारी से हड़ताल का आश्रय लिया और संराधन कार्यवाहियों की प्रगति के बावजूद भी अपनी मांगों के अनुसरण में 10 सितम्बर, 1997 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने की धमकी दी है, और जबकि केन्द्रीय सरकार ने, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा (i) के खण्ड (घ) और उप-धारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आदेश संख्या एल-42011/35/97-आई आर(डी यू) दिनांक 9-9-1997 के तहत उक्त औद्योगिक विवाद को न्याय निर्णयन के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली को निर्दिष्ट कर दिया है,

अत: अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 की उप-धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से लोकहित में उक्त हड़ताल को जारी रखने को प्रतिषिद्ध करती है।

[एल-42011/35/97-आई आर (डी०यू)]

पदमा बालासुब्रामनियन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

ORDER

New Delhi, the 9th September, 1997

S.O. 645(E):—Whereas an industrial dispute arose between the Ministry of Health and Family Welfare, Directorate General of Health Services, New Delhi and their workmen (Nurses) represented by the Delhi Nurses Union, New Delhi;

Whereas the conciliation proceedings between the management and the above said union by the Central Industrial Relations Machinery have failed;

Whreas the said union resorted to strike in the evening and night shift w.e.f. 3-9-1997 and have threatened to go on indefinite strike w.e.f. the 10th Sep., 1997 in pursuance of their demands even while the conciliation proceedings were in progress;

And whereas the Central Govt., in exercise of the powers conferred by the Class D of Sub-Section (i) and Sub-section 2 (a) of Section 10 of the ID Act, 1947 (14 of 1947) referred the said industrial dispute to the CGIT, New Delhi for adjudication vide order No. L-42011/35/97-IR (DU) dated 9-9-1997;

Now, therefore, the Central Govt., in exercise of the power conferred under Sub-Section 3 of Section 10 of the ID Act, 1947 (14 of 1947) hereby prohibits the continuance of the aforesaid strike in public interest with immediate effect.

[L-42011/35/97-IR(DU)]

PADMA BALASUBRAMANIAN, Jt. Secy.

2256 GI/97

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997